राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क्र:–9(31)राज–6/2006/:9 जयपुर, दिनांक:– 21-4-10

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को इस विभाग की अग्रेंजी अधिसूचना दिनांक 19.11.09 के कम में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, मा0 राजस्व मंत्री महोदय, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. उपलेखाकार, एस0आर0ए, राजस्थान, जयपुर।
5. सयुंक्त सचिव, पुलिस विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नोर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।
6. निदेशक पुलिस, सीमा सुरक्षा बल, जोधपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, गृह विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना की प्रति राज्य के सभी सबंधित सी0पी0एम0एफ0एस को भिजवाने का कष्ट करें।
10. निजी सचिव, शासन सचिव, राजस्व।
11. आयुक्त, उपनिवेशन , बीकानेर।
12. निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर।
13. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
14. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
15. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय राज0 जयपुर को भेजकर लेख है कि इसका प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित कर प्रति भिजवाने का कष्ट करें।
16. निबंधक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।
17. समस्त उप शासन सचिव, राजस्व।
18. निदेशक, सूचना एव जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर।
19. सयुंक्त निबन्धक, लाइबेरी जज, सुप्रीम कोर्ट, नई दिल्ली।
20. रक्षित पत्रावलीं

उप शासन सचिव

कार्यालय, जिला कलक्टर, हनुमानगढ़

क्रमांक :– एफ.12(1)( )राज/10/ 3848-72 दिनांक :–25– मई, 2010

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवम् पालनार्थ :–

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप–6) विभाग शासन सचिवालय राजस्थान जयपुर को उनके पत्र क्रमांक प. 9(31)रेव–6/2006/28 जयपुर दिनांक 19.11.2009 के सन्दर्भ में प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त अधिसूचना का हिन्दी अनुवाद इस कार्यालय को प्राप्त हो चुका है, अन्य सम्बंधित को प्रति भिजवाई जा रही है।
2. प्रभारी अधिकारी रीडर डी.एम./रीडर ए.डी.एम./जिला राजस्व लेखा/भू. अभिलेख/विधि अनुभाग कलैक्टेट हनुमानगढ़
3. अतिरिक्त जिला कलक्टर नोहर।
4. उप महानिरीक्षक पंजीयन एवम् मुद्राक हनुमानगढ़।
5. उपखण्डाधिकारी (राजस्व) हनुमानगढ़/पीलीबंगा/संगरिया/टिब्बी/रावतसर/नोहर/भादरा
6. तहसीलदार (राजस्व), हनुमानगढ़/पीलीबंगा/संगरिया/टिब्बी/रावतसर/नोहर/भादरा।
7. उप तहसीलदार (राजस्व) डबलीराठान/पल्लू/छानीबड़ी।

को भेज कर लेख है कि उक्त अधिसूचना की प्राप्ति रसीद राज्य सरकार को प्रेषित कर इस कार्यालय को भी अवगत करवाना सुनिश्चित करें।

कृते जिला कलक्टर,
हनुमानगढ़

नियमानुसार विभागीय अधिसूचना क0 9(31)राज–6/06/28 दि0 19.11.09 का हिन्दी अनुवाद

जावक 1164 राजस्थान सरकार
दिनांक 6/7/10 राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

प0क:–9(31)राज–6/2006/28 जयपुर, दिनांक:– 19-11-09

05/7/2010

अधिसूचना

राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का राजस्थान अधिनियम सं0 15) की धारा 261 और 90 के साथ पठित उसकी धारा 101 की उप–धारा (1) द्वारा और राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 (1954 का राजस्थान अधिनियम सं. 27) की धारा 7 के साथ पठित धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस निमित्त उसे समर्थ बनाने वाली अन्य समान्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान शोर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.–(1) इन नियमों का नाम राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) (संशोधन) नियम, 2009 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होगें।

2. उद्देशिका में संशोधन.–राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) नियम, 1966 जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, की उद्देशिका के प्रथम पैरा में विद्यमान अभिव्यक्ति " रक्षा सेवाओं के सदस्यों" के स्थान पर अभिव्यक्ति " रक्षा सेवाओं और केन्द्रीय पैरा मिलिटरी बलों के सदस्यों" प्रतिस्थापित की जायेगी।

3. नियम 2 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 2 में,

(i) विद्यमान खण्ड (i) को खण्ड (i-क) के रूप में पुनर्सख्यांकित किया जायेगा।

(ii) इस प्रकार पुनर्सख्यांकित विद्यमान खण्ड (i-क) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात्.–

" (i) केन्द्रीय पैरा मिलिटरी बलों" से भारत सरकार के सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, इण्डो तिब्बत सीमा पुलिस, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल्स या राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अभिप्रेत है। "

4. नियम 3 का संशोधन.–उक्त नियमों के नियम 3 के विद्यमान परन्तुक के पश्चात् , निम्नलिखित नया परन्तुक जोड़ा जायेगा, अर्थात:–

" परन्तु यह और कि केन्द्रीय पैरा मिलीटिरी बलों के सदस्यों की दशा में, इन नियमों के उपबन्ध केवल उन शौर्य पुरस्कार धारको के लिये लागू होगें जो उक्त शौर्य पुरस्कार राजस्थान शौर्य पुरस्कार (नकद पुरस्कार और भूमि अनुदान) (संशोधन) नियम, 2009 के प्रकाशन पर या उसके पश्चात् प्राप्त करते है।

राज्यपाल के आदेश से

ह0

(नरेश कुमार शर्मा)

शासन उप सचिव